

अनुलग्नक 47
प्रारूप C-1 से C-8 तथा CA
प्रारूप C-1

(अभ्यर्थी के द्वारा समाचार पत्रों,
दूरदर्शन में प्रकाशित करने हेतु)

आपराधिक प्रकरणों के सम्बंध में घोषणा

(2011 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार (पब्लिक इंटररेस्ट फाउंडेशन और ऑर्स बनाम भारत संघ एवं एएनआर)

अभ्यर्थी का नाम और पता : मनोज चांवला, 10/1 मीणा कॉलोनी आलोट जिला रतलाम (म.प्र.)

राजनितिक दल का नाम : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(स्वतंत्र अभ्यर्थी यहां "निर्दलीय" लिखें)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : 223 आलोट (अ.जा.)

मैं मनोज चांवला (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी, सार्वजनिक जानकारी के लिए अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण घोषित करता हूँ :-

A) लंबित आपराधिक प्रकरण				
क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरण संख्या एवं तारीख	प्रकरण की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा(ओं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
01	जिला सत्र न्यायालय इन्दौर विशेष कोट एमपी, एमएलए	520/10-11-22	विचाराधीन	353, 332, 392, 395, 450, 452, 120 बी किसानों की खाद्य की समस्या को लेकर आंदोलन
02	जेएमएफसी न्यायालय इन्दौर विशेष कोट एमपी, एमएलए	135/01-06-20	विचाराधीन	188, 341 भादवि किसानों के गेहूं बिक्री को लेकर प्रदर्शन
03	चालान लंबित	387/13-05-20	निरंक	188, 269, 270 भादवि कोरोना काल में मजदुरों के आवागमन हेतु व्यवस्था हेतु पदयात्रा

B) दंडनीय अपराधों के लिए सजा के प्रकरणों का विवरण			
क्र.सं.	न्यायालय का नाम और आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियाँ)	कार्यालय (याँ) और लगायी गयी सजा का विवरण	लगाया गया अधिकतम दंड
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

* राज्य परिषद के निर्वाचन या विधायकों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन की स्थिति में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टीप :-

1. अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों का विवरण मोटे अक्षरों में होगा।
2. समाचार पत्रों में यह मामला कम से कम 12 फॉन्ट आकर में प्रकाशित किया जाए।
3. प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग विवरण दिए जाने चाहिए।
4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष पार्टी के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।
5. ऐसे प्रकाशन के तुरंत बाद अभ्यर्थी रिटर्निंग अधिकारी को आपराधिक प्रकरणों सम्बंधी घोषणा के प्रकाशन के सम्बंध में सूचित करेगा। इसके अलावा, वह निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के खाते के साथ प्रारूप सी-4 में मामलों के बारे में घोषणा के प्रकाशन सम्बंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (क) लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों की स्थिति में, यह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, (ख) राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनावों की स्थिति में, यह संबंधित निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

इसे समाचार पत्रों और दूरदर्शन में उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख के अगले दिन से लेकर मतदान की तारीख से दो दिन पहले तक प्रकाशित किया जा सकता है।


(श्री. ज. चावला)
अभ्यर्थी

(223)

प्रारूप C-2

(राजनीतिक दल द्वारा वेबसाइट, समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशित करने हेतु)
पार्टी द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोषणा

(2011 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 536 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितम्बर, 2018 के निर्णय के अनुसार (पब्लिक इंटरैस्ट फाउंडेशन और ऑर्स वनाम भारत रांघ एवं एएनआर)

नाम और राजनीतिक दल : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

* निर्वाचन का नाम : विधानसभा


राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम : मध्यप्रदेश

1	2	3	4		5		
क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	अभ्यर्थी का नाम	A) लंबित आपराधिक प्रकरण		B) दंडनीय अपराधों के लिए सजा के प्रकरणों का विवरण		
			न्यायालय का नाम, प्रकरण संख्या एवं प्रकरण(नों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों के अनुभाग और अपराध(ओं) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम और आदेशों की तिथि(यों)	अपराध(ओं) का विवरण और लगाया गया दंड	अधिकतम लगाया गया दंड
01	223 आलोट (अ.जा.)	मनोज चांवला	जिला सत्र न्यायालय इन्दौर विशेष कोर्ट एमपी, एमएलए प्र.सं. 520/10-11-22 विचाराधीन	353, 332, 392, 395, 450, 452, 120 बी किसानों की खाद्य की समस्या को लेकर आंदोलन	निरंक	निरंक	निरंक
02	223 आलोट (अ.जा.)	मनोज चांवला	जेएमएफसी न्यायालय इन्दौर विशेष कोर्ट एमपी, एमएलए प्र.सं. 135/01-06-20 विचाराधीन	188, 341 भादवि किसानों के गेहूं बिक्री को लेकर प्रदर्शन	निरंक	निरंक	निरंक
03	223 आलोट (अ.जा.)	मनोज चांवला	चालान लंबित प्र.सं. 387/13-05-20	188, 269, 270 भादवि कोरोना काल में मजदुरों के आवागमन हेतु व्यवस्था हेतु पदयात्रा	निरंक	निरंक	निरंक

* राज्य परिषद के निर्वाचन या विधायकों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन की स्थिति में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

टीप :

1. अभ्यर्थी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के सम्बंध में विवरण बोल्टड अक्षरों में होगा।
2. समाचार पत्रों में यह मामला कम से कम 12 फॉन्ट आकार में प्रकाशित किया जाएगा।
3. उपरोक्त जानकारी प्रत्येक राज्य/केन्द्र-शासित-प्रदेश के लिए राज्यवार प्रकाशित की जाएगी।
4. यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष पार्टी के टिकट पर निर्वाचन लड रहा है, तो उसे अपने खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों के बारे में पार्टी को सूचित करना आवश्यक है।
5. राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों से संबंधित जानकारी डालने के लिए बाध्य होगा।
6. राजनीतिक दल आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट प्रारूप C5 में संबंधित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।


(मनोज चांदला)
अभ्यर्थी

रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : 223 आलोट (अ.जा.)

राज्य का नाम : मध्यप्रदेश

निर्वाचन का नाम : विधानसभा